न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 1083/2024

अनवान : –

1. लालचंद पुत्र मनफूल राम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. साहब राम पुत्र मनफूल राम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 30/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के खाता स0 253/232 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 18 आरडब्लयूडी तहसील नोहर के खाता स0 68/60 की कुल 4.1998 हैक्ट भूमि वादी स0 1 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा टोपरिया तहसील नोहर के खाता स0 281/258 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 18 आरडब्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 78/70 की कुल 4.6555 हैक्ट भूमि वादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादी की वल्दियत रामनारायण उर्फ मनफूलराम दर्ज है एवं रोही मौजा 18 डीडब्ल्यूडी तहसील नोहर में वादीगण की वल्दीयत रामनारायण उर्फ फूला उर्फ मनफूलराम दर्ज है जबकि वादी स0 1 का सही व वास्तविक नाम लालचंद पुत्र मनफूल राम व वादी स0 2 का सही व वास्तविक नाम साहब राम पुत्र मनफूल राम है जो की वादीगण के दस्तोजात यथा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड आदि में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम गलत दर्ज होने से वादीगण के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादीगण राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मुताबिक दस्तावेज लालचंद पुत्र मनफूल राम व साहब राम पुत्र मनफूल राम दर्ज करवाना चाहते है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। । प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी, वादीगण के नाम के संबंध में श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जो की शामिल पत्रावली किये गये। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:30:57 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी [illegible] वादी ने निवेदन किया की उक्त भूमि उक्त वाद भूमि में वादी की [illegible] मनफूलराम दर्ज है एवं रोही मौजा 18 डीडब्ल्यूडी तहसील नोहर में वादीगण की वल्दीयत [illegible]मनारायण उर्फ फूला [illegible] मनफूलराम दर्ज है जबकि वादी स0 1 का सही व वास्तविक नाम लालचंद पुत्र मनफूल राम व वादी स0 2 का सही व वास्तविक नाम साहब राम पुत्र मनफूल राम है जो की वादीगण के दस्तोजात यथा आधार

उपखण्ड अधिकारी नोहर

कार्ड, जनआधार कार्ड आदि में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम गलत दर्ज होने से वादीगण के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादीगण राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मुताबिक दस्तावेज लालचंद पुत्र मनफूल राम व साहब राम पुत्र मनफूल राम दर्ज करवाना चाहते है।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के खाता स0 253/232 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 18 आरडब्लयूडी तहसील नोहर के खाता स0 68/60 की कुल 4.1998 हैक्ट भूमि वादी स0 1 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा टोपरिया तहसील नोहर के खाता स0 281/258 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 18 आरडब्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 78/70 की कुल 4.6555 हैक्ट भूमि वादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में वादी की वल्दियत रामनारायण उर्फ मनफूलराम दर्ज है एवं रोही मौजा 18 डीडब्ल्यूडी तहसील नोहर में वादीगण की वल्दीयत रामनारायण उर्फ फूला उर्फ मनफूलराम दर्ज है जबकि वादी स0 1 का सही व वास्तविक नाम लालचंद पुत्र मनफूल राम व वादी स0 2 का सही व वास्तविक नाम साहब राम पुत्र मनफूल राम है जो की वादीगण के समस्त दस्तावेजों में अंकित है। अत वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के खाता स0 253/232 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 का नाम लालचंद पुत्र रामनारायण उर्फ मनफुलराम की बजाय लालचंद पुत्र मनफूल राम व रोही मौजा 18 व रोही मौजा 18 आरडब्लयूडी तहसील नोहर के खाता स0 68/60 की कुल 4.1998 हैक्ट भूमि वादी स0 1 लालचन्द पुत्र रामनारायण उर्फ फूला उर्फ मनफुलराम के स्थान पर लालचन्द पुत्र मनफूल राम तथा रोही मौजा टोपरिया तहसील नोहर के खाता स0 281/258 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में वादी स0 2 का नाम साहब राम पुत्र रामनारायण उर्फ मनफुलराम के स्थान पर साहब राम पुत्र मनफूल राम व रोही मौजा 18 आरडब्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 78/70 की कुल 4.6555 हैक्ट भूमि मे वादी संख्या 2 का नाम साहब राम पुत्र रामनारायण उर्फ फूला उर्फ मनफुलराम के स्थान पर साहब राम पुत्र मनफूल राम के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि नाम दुरूस्ती के संबंध में वादीगण ने कोई तथ्या छुपाया है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....3[illegible] [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार [illegible] दाखिल दफ्तर हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:30:57 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1083/2024
अनवान : –

1. लालचंद पुत्र मनफूल राम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. साहब राम पुत्र मनफूल राम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0
अधि0 1955 प्र0स0 1083 वर्ष 2024 निर्णय दिनांक 30/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के खाता स0 253/232 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 का नाम लालचंद पुत्र रामनारायण उर्फ मनफुलराम की बजाय लालचंद पुत्र मनफूल राम व रोही मौजा 18 व रोही मौजा 18 आरडब्लयूडी तहसील नोहर के खाता स0 68/60 की कुल 4.1998 हैक्ट भूमि वादी स0 1 लालचन्द पुत्र रामनारायण उर्फ फूला उर्फ मनफुलराम के स्थान पर लालचन्द पुत्र मनफूल राम तथा रोही मौजा टोपरिया तहसील नोहर के खाता स0 281/258 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में वादी स0 2 का नाम साहब राम पुत्र रामनारायण उर्फ मनफुलराम के स्थान पर साहब राम पुत्र मनफूल राम व रोही मौजा 18 आरडब्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 78/70 की कुल 4.6555 हैक्ट भूमि मे वादी संख्या 2 का नाम साहब राम पुत्र रामनारायण उर्फ फूला उर्फ मनफुलराम के स्थान पर साहब राम पुत्र मनफूल राम के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि नाम दुरूस्ती के संबंध में वादीगण ने कोई तथ्या छुपाया है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 30/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:30:57 IST
Reason: SelfAttested